भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 272

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति

272. डॉ. अमर सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और अधिक रोजगार सृजित होंगे, वैश्विक वरीयता में भारत के कार्य-निष्पादन में सुधार होगा और भारत के लॉजिस्टिक केन्द्र बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): जी हां। देश की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, अधिक रोजगार सृजित करना, वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार करना और भारत को लॉजिस्टिक्स हब बनने का मार्ग प्रशस्त करना है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर, 2022 को, देश के तीव्र और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरु की गई।

एनएलपी के लक्ष्य हैं: (i) भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना; (ii) लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन रैंकिंग में सुधार करना, और (iii) कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डाटा आधारित निर्णय हेतु सहायता तंत्र बनाना।

अन्य बातों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स प्लान में निम्न कार्य बिंदु शामिल हैं:

- परिवहन नेटवर्क द्वारा जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थ कार्यकलापों (भंडारण, हैंडलिंग, मूल्य संवर्धन, इंटर-मॉडल हस्तांतरण आदि) के लिए हब के रूप में कार्य करने हेतु लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करना।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए और विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समर्पित एलपीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें डीपीआईआईटी के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख हितधारक मंत्रालयों और विभागों, जैसे कि भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), पत्तन, पोत्त-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), रेल मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), नागरिक उड्डयन मंत्रालय

(एमओसीए) और डाक विभाग के नोडल अधिकारी शामिल हैं।

- उद्योग के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं।
  - लगभग 100 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
  - लॉजिस्टिक्स संबंधी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ 4 अक्टूबर 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; लॉजिस्टिक्स संबंधी 8 पाठ्यक्रम शुरू किए गए।
  - एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर), भोपाल में सिटी लॉजिस्टिक्स के लिए 8 मई 2024 को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई।
  - कौशल विकास के लिए कुल 37 क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) संचालन में हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2024-25 में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के साथ तैयार किए गए 7 क्यूपी शामिल हैं।
- पत्तनों और हवाई अड्डों पर प्रक्रियाओं का मानकीकरण शुरू किया गया है, ताकि उन्हें व्यापार के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सोलह पायदान सुधार के साथ यह रैंकिग वर्ष 2014 के 54 (160 देशों में से) से वर्ष 2023 में 38 (139 देशों में से) हो गई है। विश्व बैंक ने एलपीआई 2023 रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की सराहना की है, जिसमें दोनों तटों के पत्तनों को भीतरी इलाकों के आर्थिक केंद्रों से जोड़ने के लिए सेवा अवसंरचना और भौतिक अवसंरचना में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण शामिल है।

*****